अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.

दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

1. रामगोपाल पुत्र श्योनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नयागांव तह.बस्सी जिला जयपुर

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र रामनाथ
2. शंकरलाल पुत्र रामनाथ
3. कल्याणी पत्नि रामनाथ
4. छीतरमल पुत्र गोविन्दा समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नयागांव तह. बस्सी जिला जयपुर
5. उपपंजीयक बस्सी
6. तहसीलदार बस्सी

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 24/17 निर्णय दिनांक 01.02.2018

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित वकील पक्षकार की पूर्व में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 36 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 61/36 रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 63/36 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम नयागांव प0ह0 मनोहरपुरा, तह0 बस्सी जिला जयपुर में स्थित चली आ रही है जिसका अंकन भी वादी के नाम वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। यहा यह उल्लेख किया जाना आवश्क है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 63/36 रकबा 1 बिस्वा को आवासीय प्रयोजनार्थ समपरिवर्तित करा लेने के पश्चात उसमें पुख्ता रिहायशी मकानात बना लिये तथा कृषि भूमि के रूप में प्रार्थी की वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 36 व 61/36 है जिसे वाद पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि कहकर सम्बोधित किया गया है। प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि में पुख्ता रिहायशी मकान व शामलाती पैतृक मकान कदीम से बने हुये है तथा प्रार्थी के पुख्ता मकानात् के पीछे करीब 25 फीट जगह खाली है जिसमें प्रार्थी का बाडा बना हुआ है तथा उसके पश्चात कदीमी डोल है जिस पर कूचे व पेड उगे हुए है परन्तु कुछ समय से अप्रार्थीगण की नियत मे बेईमानी आ गयी है तथा वे प्रार्थी की कदीमी डोल व पुख्ता मकानात के बीच की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करना चाहते है तथा प्रार्थी की पूर्वी सीमा की डोल को तोडकर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका की उन्हे कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण संख्या में अधिक है तथा अतिक्रमणकारी प्रवृति के व्यक्ति है तथा वे नाजायज रूप से प्रार्थी की पूर्वी सीमा पर लगी कदीमी डोल को तोडकर जबरन कब्जा करने की फिराक में रहते है। यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के हक व अधिकार की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर लिया तो प्रार्थी को अपार आर्थिक क्षति व जनहानि होने की पूर्ण सम्भावना है। इसलिये अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना निहायत आवश्यक है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावें कि वे प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में प्रार्थी की भूमि की भूमि की पूर्वी सीमा पर लगी कदीमी डोल को धवस्त न करे न ही प्रार्थी की भूमि में जबरन कब्जा करने की चेष्ठा करे, न ही प्रार्थी की भूमि की उक्त डोल पर लगी प्राकृतिक उपज पेड व कूचों आदि को न काटें न ही प्रार्थी की खातेदारी की भूमि व डोल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करावें न ही प्रार्थी के काश्त कार्य व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी उत्तरदाता की कृषि भूमि पर जबरिया अतिचार करने की नाकाम कोशिश करता है। जिसमे कानूनन वह कामयाब नही हो सकता है। प्रार्थी उत्तरदाता की भूमि को दबाने की नाकाम चेष्टा करता रहता है जिसको लेकर आये दिन तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थी उत्तरदाता की भूमि में दखल देकर झगडे की स्थिति बनायें रखना चाहता है। उत्तरदाता शान्ति प्रिय काश्तकार पेश गरीब व्यक्ति है जो लडाई झगडें में विश्वास नही रखतें है। इसलिए उत्तरदातागण ने दिनांक 19.05.2017 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 38/2 रकबा 44 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम नयागांव तह.बस्सी जिला जयपुर के सीमा ज्ञान हेतु आवेदन तहसीलदार जी बस्सी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदारजी बस्सी ने हल्का पटवारी से रिकार्ड एवं मौके की स्थिति की रिपोर्ट तलब की तथा नियमानुसार सीमाज्ञान की राशि जमा होने पर सीमाज्ञान किये जाने के आदेश दिनांक 19.05.2017 को प्रदान किया । लेकिन प्रार्थी ने जानबूझ कर बिना किसी कारण के उत्तरदातागण की भूमि को नाजायज रूप से हडपने की नियत से तथा सीमाज्ञान न होने देने की गरज से उनवानी वाद पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया ।

जिससे उत्तरदाता द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर करवाई जा रही सीमाज्ञान की कार्यवाही को रोक दिया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी ने उनवानी प्रार्थना पत्र बिना किसी वजह उत्तरदातागण को हैरान एवं परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया है जो किसी भी अवस्था में चलने योग्य नही है तथा माननीय न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से निरस्त किये जाने योग्य है। उत्तरदातागण ने प्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिचार की कोई कार्यवाही नही की है बल्कि प्रार्थी उत्तरदातागण की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करने की नाकाम कोशिश करता रहता है जिससे लेकर प्रार्थी एवं अप्राथीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है तथा उक्त तनाव को समाप्त करने के लिए तथा कृषि भूमियों की सीमाओं को नियमानुसार निश्चित करवाने के लिए उत्तरदातागण ने सीमाज्ञान का आवेदन नियमानुसार प्रस्तुत कर तहीलदार जी बस्सी से आदेश पारित करवाया था लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र में पारित स्थगन आदेश के कारण सीमाज्ञान की कार्यवाही नही हो सकी है। जिससे उत्तरदातागण को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है।प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नही आये है बल्कि सही तथ्यों को छिपाते हुए असत्य तथ्यों के आधार पर असदभावना पूर्वक यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। कानूनन कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष बोनाफाईड या क्लीन हैण्ड से नही आता है। वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति की सुरत प्रार्थी के बजाय मिनउत्तरदाता गण को है। यदि मिनउत्तरदाता को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो मिनउत्तरदाता को अपूर्णिय क्षति कारित होगी तथा प्रार्थी अपने अवैध उद्देश्य में कामयाब हो जावेगा। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में न होकर उत्तरदाता गण के पक्ष मे हो। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र उत्तरदातागण /अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाायत 4 की और से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।वकील पक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन एवं वकील पक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के पश्चात विवादित मूल ख0नं0 36, 38, 28 के मध्य सीमा को लेकर शांति व्यवस्था भंग होने के अंदेशा को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगा.4 को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त आराजी ख0न0 36 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा ,ख0न0 61/36 रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 63/36 रकबा 1 बीघा तथा ख0न0 28/2, 38/2 स्थित ग्राम नयागांव प0ह0 मनोहरपुरा, तह0 बस्सी जिला जयपुर के मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा एक दुसरे के कब्जे काश्त की भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे एवं नाही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे तथा इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.05.2017 को जारी स्थगन आदेश को वाद के निर्णय तक कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ हमफीता हो।

1.2.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी